संख्या-6/2017/366/37-3-2017-5(34)/2017

प्रेषक,

राहुल सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु
चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं
गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ :: दिनांक 14 सितम्बर, 2017**

विषयः उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के आशुलिपिक संवर्ग तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के ढाचें का पुनर्गठन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-09-2013 से अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-890/वी0सी0-01/17, दिनांक 07-04-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य वर्ग तथा अन्य संवर्ग के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(VIII)/दस-54(एम)/2008टी.सी., दिनांक 26-09-2013 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के अशुलिपिक/सहायक पुस्ताकालयाध्यक्ष संवर्ग के पदों को शासनादेश संख्या-282(2)(4)/सैंतीस-2-2016-3(04)/2004, दिनांक 27-06-2016 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- आप द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 27-06-2016 को संशोधित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के आशुलिपिक एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के पद को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के निर्गत शासनादेश दिनांक 26-09-2013 से पुनर्गठन करने एवं लाभ अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के आशुलिपिक एवं सहायक पुस्ताकालयाध्यक्ष संवर्ग के पदों को वित्त (वेतन आयोग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुभाग-2 के निर्गत शासनादेश दिनांक 26-09-2013 से पुनर्गठित करने एवं लाभ अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- शासनादेश संख्या-282(2)(4)/सैंतीस-2-2016-3(04)/2004, दिनांक 27-06-2016 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय तथा शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-वे0आ-2-938/दस-2017, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राहुल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-6/2017/366(1) /37-3-2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी/प्रस्थापना अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
9- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2,
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।